संख्या-5/2022/112/सैंतीस-2-2022

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-02 फरवरी, 2022

विषयः-**रिट याचिका संख्या-17099/2021 महेन्द्र कुमार प्रजापति बनाम लेबर कमिश्नर, उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-81/सात-3/कोर्टकेस/महेन्द्र कुमार प्रजापति/2021-22, दिनांक-24.01.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-17099/2021 महेन्द्र कुमार प्रजापति बनाम लेबर कमिश्नर, उत्तर प्रदेश व 02 अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-04.01.2022 के अनुपालनार्थ चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-103-कुक्कुट विकास-08-राजकीय कुक्कुट/बत्तख प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण (रा.यो.) के मानक मद 09-विद्युत देय में सम्भावित बचतों से उक्त लेखाशीर्षक के ही मानक मद 02-मजदूरी में रू0-12.56364 लाख (रूपये बारह लाख छप्पन हजार तीन सौ चौंसठ मात्र) की धनराशि संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 के अनुसार पुनर्विनियोजित किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वर्तमान में प्रदेश में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। प्रश्नगत प्रकरण में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है, निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

(2) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(4) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-22.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-103-कुक्कुट विकास-08-राजकीय कुक्कुट/बत्तख प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण (रा.यो.)-02-मजदूरी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा आवंटित आर.ई. संख्या-332, दिनांक-02.02.2022 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक - प्रपत्र बी.एम.-9

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-5/2022/112(1)/सैंतीस-2-2022- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।